## विचार बिन्दु

**जो वस्तु आनंद प्रदान नहीं कर सकती, वह सुन्दर हो ही नहीं सकती। –प्रेमचंद**

# क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होगी?

राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से निरर्हत (Disqualify) किये जाने से देश की राजनीति में तूफान आ गया है। कांग्रेस सडकों पर उतर आई है। मोदी के विरूद्ध लगभग सभी विपक्षी पार्टियां, 2024 के चुनावों में एक साथ दिखाई दे रही हैं। देश भर में सत्याग्रह करने का नारा कांग्रेस ने दिया है।

मानहानि के एक फौजदारी केस में जो धारा 499/500 आईपीसी के तहत् था, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई तथा रू. 1500/- जुर्माना किया। इस केस में निर्णय दिनांक 23.03.2023 के विरूद्ध सेशन कोर्ट में अपील का प्रावधान है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत पर रिहा किया और 30 दिन में अपील करने का आदेश दिया।

यहां यह लिखना समीचीन होगा कि सदस्यता रद्द करने से मानहानि के केस का कोई सम्बन्ध नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 में एमपी की सदस्यता को रद्द करने के कारण दिये हैं। अनुच्छेद 102(म) निम्न प्रकार से है:-

''यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित (Disqualify) कर दिया जाता है।''

संसद सदस्य (एमपी) का चुनाव होता है और चुनाव ''रिप्रेजनटेशन ऑफ पिपुल्स अधिनियम 1951'' से होता है, तथा संविधान के अनुच्छेद 102(म) में सदस्यता के लिये निरर्हताओं (अयोग्यता) का उल्लेख है। R.P. Act, 1951 की धारा 8(3) के रूप में प्रावधान है कि यदि किसी एमपी को 2 वर्ष की सजा होती है तो वह एमपी की सदस्यता के हेतु अयोग्य हो जावेगा। राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा दी गई है। किसी व्यक्ति ने स्पीकर के कार्यालय को सूचित किया कि सूरत की फौजदारी आदलत ने राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा दी है अत: उनकी एमपी की सदस्यता धारा 8(3) के अनुसार स्वत: ही रद्द हो जाती है। स्पीकर के कार्यालय से राहुल गांधी को सूचित किया कि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। सजा के बाद राहुल गांधी की अपील सेशन कोर्ट में दिनांक 03.04.2023 को पेश की है। अपील के साथ राहुल गांधी ने दो प्रार्थना पत्र स्टे यानी अन्तरिम आदेश के लिये पेश किये हैं। सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर अन्तरिम आदेश नहीं दिया है, केवल बेल (जमानत) ली है। एक प्रार्थना पत्र में अपील के निस्तारण तक सजा पर स्टे लगाया है और दूसरे प्रार्थना पत्र में दोष सिद्धि Conviction व सजा पर स्टे चाहा है। पहले प्रार्थना पत्र पर 13.04.2023 को तथा दूसरे पर 03.05.2023 को बहस होगी।

राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई है और इस कारण उनकी एमपी की सदस्यता रद्द हो गई है, वे अब संसद सदस्य नहीं रहे। Conviction पर रोक लगने की सूचना स्पीकर कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजना होगा। कुछ जूरिष्ट मानते हैं कि सजा पर स्टे मात्र से उनके विरूद्ध Conviction पर असर नहीं होगा।

अपील करने से पूर्व कांग्रेस के कुछ नेताओं की यह राय थी कि राहुल गांधी को जेल चले जाना चाहिये। इससे मोदी सरकार की कमर तोडने में मदद मिलेगी और राहुल गांधी को हीरो के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा कुछ नेता कहते हैं कि अपील न कर जेल जाने से आगामी चुनाव में लाभ मिलेगा और कुछ नेताओं का विचार है कि यह सोच आग से खेलना जैसा है। नुकसान अधिक होगा।

मोहम्मद अब्दुल्ला, आजम खान, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला की विधानसभा की सदस्यता निरस्त की गई है, क्योंकि वे विधानसभा की सदस्यता के हेतु जो उम्र अपेक्षित थी उससे छोटे थे अर्थात् चुनाव लडने के हेतु वे फनंसपलि Qualify नहीं थे। ट्रायल कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा दी थी। निर्णय के दूसरे दिन ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया और सीट को वेकेन्ट सीट नोटिफाई कर दी गई। खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि चुनाव की प्रक्रिया 13.04.2023 से प्रारम्भ की जावेगी। सुनवाई में देरी हो रही थी, अत: खान ने Conviction को निष्प्रभावी करने के लिये सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जहां दिनांक 05.04.2023 को सुनवाई हो चुकी है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिये हैं कि खान के Conviction पर स्टे की कार्यवाही का निस्तारण Highest Priority पर करें।

मानहानि के केस में पुर्णेश मोदी नामक व्यक्ति ने एक इस्तगासा (कमप्लेन्ट) राहुल गांधी के विरूद्ध सीजेएम कोर्ट (सूरत की फौजदारी अदालत) में पेश किया है वह केस है पुर्णेश मोदी बनाम राहुल गांधी। यह केस धारा 499/500 आईपीसी के तहत है। जैसा ऊपर लिखा गया है उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। संसद की सदस्यता से Disqualification, Representation of People Act की धारा 8(3) के तहत है और चूंकि संसद की सदस्यता अयोग्यता होने से समाप्त हुई है। संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 102(म) में दिया है, अत: यह संवैधानिक प्रावधान है और Disqualification (अयोग्यता) का निर्णय सही है या नहीं इस बाबत निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है वे इस संबंध में चुनाव कमीशन से सलाह लेंगे और उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे जैसा संविधान के अनुच्छेद 103 में दर्शाया गया है।

> **सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर अन्तरिम आदेश नहीं दिया है, केवल बेल (जमानत) ली है। एक प्रार्थना पत्र में अपील के निस्तारण तक सजा पर स्टे लगाया है और दूसरे प्रार्थना पत्र में दोष सिद्धि ण्दहन्मूदह व सजा पर स्टे चाहा है। पहले प्रार्थना पत्र पर 13.04.2023 को तथा दूसरे पर 03.05.2023 को बहस होगी।**

यहां यह लिखना समीचीन होगा कि धारा 499 व धारा 500 आईपीसी तथा धारा 199(1) व 199(4) सीआरपीसी की धाराओं की वैधता को चुनौती दी गई थी, किन्तु दो सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ से यह माना है कि व्यक्ति की ख्याति Reputation का संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का ही एक अभिन्न अंग है उसे आसानी से खण्डित नहीं किया जा सकता और दूसरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण उनके महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने मानहानि के केस में अभियुक्त माना है और सजा दी है। अत: प्रश्न यह है कि राहुल गांधी ने चुनाव के प्रचार के संबंध जो Speech 2019 में दी थी 'सभी मोदी चोर हैं' क्या उक्त कथन कानून के तहत अर्थात् 499/500 आईपीसी के तहत अपराध माना जा सकता है? इस संबंध में सुब्रह्मण्यम स्वामी के केस में प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त श्रया सिंघल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई कथन उसी समय मानहानि कारक होगा जब व्यक्ति की Reputation को आघात पहुंचा हो क्योंकि व्यक्ति की Reputation आधारभूत आवश्यक अंग है। फरियादी को यह साबित करना होगा कि व्यक्ति के यश को आघात पहुंचा है। इसे सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, केवल यह बतलाना पर्याप्त है शिकायतकर्ता की जानकारी में है तथा उसके पास मानने के पर्याप्त आधार हैं कि उसे (शिकायतकर्ता) की रेपुटेशन को दाग लगा है। सुब्रह्मण्यम स्वामी के केस को एस. खुशबू बनाम कनियाम्मल के केस पर विचार किया गया है और उक्त सिद्धान्त को सही माना है।

लोकसभा सेक्रेटेरियट की विज्ञप्ति से राहुल गांधी को 2 साल के Conviction के के कारण संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, यहां पुन: यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा करना उचित था जब कि मजिस्ट्रेट ने सजा को Suspend किया था ताकि 30 दिन की अवधि में वे अपील प्रेषित कर सके।

बी.आर. कपूर बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू के केस में उस समय की मुख्यमंत्री जयललिता के Conviction को मद्रास हाईकोर्ट ने निलम्बित किया था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह बहस की गई थी कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो सजा को सस्पेंड किया था उसका अर्थ ही वास्तव में Conviction को सस्पेंड करना था। इस विचार धारा को धारा 389 सीआरपीसी की पृष्ठभूमि में देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 2 वर्ष की सजा के Execution को सस्पेंड करना जयललिता के Disqualification को हटाने का अधिकार नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने Hemeue Lily Thomas (2013) व लोक प्रहरी (2018) के केसों में यह माना है कि अपील कोर्ट द्वारा Conviction को सस्पेंड करने से Disqualification समाप्त नहीं होगा। क्या पुर्णेश मोदी के केस में यह माना जावेगा कि अपील कोर्ट द्वारा Conviction को सस्पेंड करने से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है वह Inoperative हो जावेगी। आजम खान के केस में Hate Speech देने के कारण Conviction हुआ था और असेम्बली ने सीट को वेकेन्ट (रिक्त) घोषित कर दी थी। आजम खान ने अपील की थी और स्टे लिया था। अपील में निर्णय पर विचार होगा। अत: Prima Facie कोर्ट ने माना कि स्टे जो दिया वह Conviction की तारीख से होगा अत: आजम खान का Disqualificatin Inoperative रहेगा।

जैसा ऊपर लिखा है कि दोष सिद्धि Conviction के विरूद्ध सीजेएम के आर्डर की अपील सेशन कोर्ट में होती है। यहां पर साधारण रूप से अपील सीआरपीसी के तहत् हो सकती है, किन्तु यह केस अजीब सा है, इसमें दोष सिद्धि (Conviction) के विरूद्ध अपील होगी, किन्तु Conviction के कारण राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई यह स्थिति आर पी एक्ट की धारा 8(3) से स्पष्ट होगी चूंकि आर पी एक्ट की धारा 8(3) का संबंध संविधान के अनुच्छेद 102/103 से है अत: दोष सिद्धि के आदेश के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही (अपील) संविधान के अनुच्छेद 103 प्रावधान के अनुसार होगी। अनुच्छेद 102 कहता है कि यदि कोई संसद सदस्य संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित (Disqualify) कर दिया जाता है तथा अनुच्छेद 103 यह कहता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदस्य अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) में वर्णित किसी Disqualification से ग्रस्त है या नहीं तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जावेगा। राष्ट्रपति निर्णय से पूर्व निर्वाचन आयोग की राय लेंगे इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

कुछ लोगों का यह विचार है कि राहुल गांधी को सजा देने वाली कोर्ट में ही दोष सिद्धि के स्टे की कार्यवाही करनी चाहिये।

कानून कहता है दो वर्ष का कन्विक्शन होने की स्थिति में सांसद की सदस्यता रद्द होगी। रिप्रेजन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट सांसद की अयोग्यता की बात धारा 8(3) में करता है, किन्तु आदेश को कहां चुनौती दी जावेगी इसका कोई उल्लेख नहीं है। अत: रिट् याचिका द्वारा भी इसको चुनौती दी जा सकती है। स्टे के लिये सीजेएम की कोर्ट में कार्यवाही की जा सकती है और रिट् में भी स्टे का प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। देश का कानून बहुत स्पष्ट नहीं है, किन्तु Conviction को Inoperative रखा जा सकता है। Conviction दिनांक 23.03.2023 को लागू हो गया है इसलिये Disqualification भी Inoperative उसी दिन से होगा। आजम खान के केस में दिया गया आदेश निम्न प्रकार से है:-

"The bench was prima facie of the view that the stay, if any, on the conviction by an appellate court would be effective from the date of conviction in the Trial court and as a result the disqualification becomes inoperative."

इस प्रकार तीन कानूनी प्रश्न अपील कोर्ट को निर्णित करने हैं। प्रथम प्रश्न है क्या चुनाव के दौरान दिया गया भाषण धारा 499 व 500 आईपीसी के तहत अपराध है। दूसर प्रश्न है स्टे में Conviction कब से Inoperative होगा अर्थात् सजा पर रोक लगती है तो क्या संसद की सदस्यता बहाल होगी। तीसरा प्रश्न है अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति की भूमिका का महत्व।

केस कानूनी दांव पेचों से भरा हुआ है, अत: फाइनल निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा।

**–अतिथि सम्पादक,**
**पानाचन्द जैन**
**पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट**

## सप्त शताब्दी जयंती पर विशेष

# गढ़ गागरोन के राज संन्यासी– संत पीपाजी



**नरेंद्र चौहान**

भारतीय भूमि की पावनता एव इसकी उदात्त संस्कृति के कारण ही यहां की पावन धरा पर समय-समय पर संत व महापुरुषों ने जन्म लेकर संस्कृति की अजय धारा को प्लावित रखा। यही परंपरा हमारे लिए अवतार की संज्ञा से संबोधित की गई है..... और इस अवतारवाद के अमर सिद्धांत ने ही मानवता के गुणों को आज दिन तक जीवित रखा। संत पीपाजी भी उनमें एक है। उनकी गणना स्वामी रामानंद जी के बारह शिष्यों अन्नतानंद, कबीर, रैदास इत्यादि में की जाती है। आपका जन्म राजस्थान के जिला झालावाड़ के समीप गढ़ गागरोन के खींची चौहान कुल गौत्र में हुआ। कालांतर में आप राजा प्रतापसिंह खींची (चौहान) के नाम से जाने जाते थे। जिनका जन्म चैत्र पूर्णिमा विक्रम संवत 1380 माना गया है। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में धार्मिक भावनाओं का अंकुर हो चुका था। राजसिंहासन पर बैठने पर भी यह धार्मिक भावना कम नही हुई। ये शक्ति के उपासक थे...परंतु शक्ति-भक्ति से ही इनके वैष्णव धर्म के प्रति अनुराग उत्पन हुआ। उन्होंने उस समय के सुविख्यात स्वामी रामानंदजी के पास काशी जाकर वैष्णव धर्म की शिक्षा ग्रहण की। महाराजा अब संत पीपाजी महाराज हो चुके थे। संत पीपाजी ने भक्ति धर्म के लिए अपना जीवन सिद्धांत ही बदल बैठे और जीवनांत करने वाली शक्ति की प्रतीक तलवार का त्याग करके.. जीवन की रक्षा करने वाली सुई को अंगीकार कर, मानवता की रक्षा का पाठ पढ़ाया। यह पीपाजी की धार्मिक भावना और लोक कल्याण की सतोगुणि प्रवृत्ति का परिचायक है।

**रहिमन देख बडेंन को, लघु न दीजिए डार।**
**जहां काम आवे सुई, कहा करै तलवार।।**

यह नीति परख दोहा पुस्तकों के माध्यम से हर बालक को पढ़ाया जाता है, आपने तथा मैंने भी एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ा है, परंतु इसके मुलार्थ तक मेरे जैसा अल्पज्ञ तो बार-बार की तोता रटन्त लगाने पर भी पहुंच नहीं पाया।

परमात्मा के बनाए हुए सभी जीव हैं और सबको जीने का बराबर का अधिकार है। क्षत्रियों को परमात्मा की बनाई सृष्टि की रक्षा करना चाहिए, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, परमेश्वर के प्रति आस्था रखने वाले क्षत्रियों को तलवार की जगह सुई धारण कर, जोड़ने का काम कर जीवन का निर्वाहन करना चाहिए।

संत पीपाजी ने गुरुजी से आज्ञा प्राप्त कर अपनी साध्वी सीता सहचरी के साथ द्वारकापुरी को प्रस्थान किया। द्वारकापुरी में रहते हुए भक्ति साधना में तल्लीन इस संत दंपति पर भगवान की असीम कृपा हुई और द्वारकाधीश दर्शन के साक्षात के लिए सागर जल में कूद पड़े। जहां भगवान श्रीकृष्ण व रुकमणी को अगुवाई करते पाया और द्वारावती में शेष शैय्यालीन भगवान विष्णु के सौम्यरूप का दर्शन कर संत दंपति परमानंद को प्राप्त हुए। परंतु लोक कल्याण हेतु भगवान ने उनको स्मृति चिन्ह छाप - कमलपुष्प, शंख, पद्म व गदा प्रदान कर स्वयं ने उन्हें समुंद्र से बाहर निकाला, जिसका भक्तमालाओं में उल्लेख मिलता है–

**कृष्ण चले पहुंचाय के, पीपै उलघियो नीर।**
**सीता सखी समीप है, भींग्यो नाही चिर ।।**

इस घटना का उल्लेख नाभादास जी द्वारा रचित भक्तमाल में भी किया गया है। द्वारकापुरी में आगंतुक तीर्थयात्रियों के आग्रह पर जो छाप लगाई जाती है, उसके लिए किवदंती है कि यह संत पीपाजी व सीता सहचरी को मंदिर में प्रदान की हुई ही छाप की परंपरा है, जो आज दिन तक निभाई जा रही है। भक्त मीराबाई के निम्न दो पदों में संत पीपाजी का नाम उल्लेख हुआ है–

**धन्ना भगत पीपा पुन सेवरी मीरा की करो गणना...**
**पीपा कू प्रभु परचयौ दिन्हो दियो रै खजीनापुर...**

संत दंपति ने द्वारका से प्रभु की आज्ञा पाकर जूनागढ़ की ओर प्रस्थान किया। बीहड वन में एक भयानक सिंह और सिंहनी से उनका सामना हो गया। पीपाजी व सहचरी सीता के दिव्य प्रभाव के कारण वे पालतू जानवर की तरह संत चरणों में लौटने लगे। पीपाजी ने सिंहराज के मस्तिष्क पर भगवान के नाम से तिलक लगाकर गले में माला पहना कर कहा कि वह भविष्य में किसी जीव को न सताऐ। उस पर उपदेश का प्रभाव हुआ...... उसने शिकार करना छोड़ दिया। इस घटना का एक दोहा भी प्रचलित है–

**परस प्रणाली सरस भाई, सकल विश्व मंगल कियो।**
**पीपा-प्रताप जग वासना, नाहर को उपदेश दियो।।**

विभिन्न भक्तमालाओ में इसका उल्लेख मिलता है। कल्याण के अंक में भी वर्णन आया है कि जूनागढ़ के इसी नाहर ने ही अपने पुर्वजन्म में नरसी मेहता के रूप में जन्म लिया। संतों के चरित्र के साथ बहुत सी चमत्कारिक बातें जुड़ ही जाती है क्योंकि वे समाज सुधारक होते ही है और उनके उपदेशों से मानव जाति का कल्याण भी होता है। अत सतोगुणी संत पीपाजी का चरित्र भी चमत्कारों से भरा पड़ा है। यह सामाजिक क्रांति का शंखनाद गागरोन से लगातार होता रहा। क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के कारण क्षत्रियों को भी उद्बोधन करते हुए संत पीपाजी ने कहा कि क्षत्रिय जाति का धर्म लोक रक्षा करना है न कि उदरपूर्ति हेतु हिंसा करके अनाचार फैलाना। सत्य व अहिंसा का प्रचार इतने वेग से हुआ कि अनेक क्षत्रिय पीपाजी के अनुयाई बन गए। क्षत्रियों के सामने यह विडंबना थी कि तलवार कैसे छोड़े, परंतु पीपाजी के सद उपदेशों के प्रभाव से–

**जो ब्रह्मामांडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पावै।**
**पीपा प्रणवै परम तत्व कूं, सतगुरु हुआ लखावै।**
**पीपा पारस परसतां, लोह कंचन होय।**
**सिद्ध के कांटे बैठता, साधक सिद्ध हो जाय।।**

पीपाजी के सद उपदेशों से एक नूतन सतोगुणी समाज की रचना होने लगी। इनके आव्हान पर अनेक परिवार तलवार की वृत्ति त्याग कर..सुई-धागे की प्रवृत्ति को अपनाने लगे। जीवनयापन के लिए पीपाजी के अनुयायियों ने भी काया का संयम सुई से और परोपकार के धागे से सीना शुरू कर दिया और यही सिंवन कला बेरोजगारी मिटती, शांति का पाठ पढ़ाती, विभेदों को मिटाती.. एकता का जामा सीने लगी। सतोगुणी संत पीपाजी का जीवन समाजोत्थान के लिए उत्सर्ग करने करने वाले व्यक्ति का जीवन है। जिसकी साधना से मानवीय मनोवृति में महान परिवर्तन आया और सिवान कला के माध्यम से विचार करते, कार्यों की व जीवन की दृष्टि ही बदल गई। श्री गुरुग्रंथ साहिब जो सिक्ख धर्म का पवित्र ग्रंथ है में संत पीपाजी की निम्न वाणी को जनमानस के लिए समाहित किया गया है -

कायऊ देवा काईईऊ देवल, काई आऊ जंगम जाती। लेखक श्री पीपा प्रकाश मासिक पत्रिका का पिछले 48 वर्षो से संपादन कर रहे हैं।

**–नरेंद्र चौहान, जोधपुर**

# भाजपा का राष्ट्रवाद; भारत के बुनियादी विकास से लेकर वैचारिक मुद्दों का समाधान



**डॉ. सतीश पूनियां**

विश्व के सबसे बड़े राजनैतिक संगठन के रूप में निरंतर आगे बढ़ रही भाजपा सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है, जिसमें भाजपा की अनंत यात्रा में राष्ट्रवाद के विचार को सुदृढ़ करते हुये बुनियादी विकास से लेकर वैचारिक मुद्दों का समाधान प्राथमिकता है, जिससे देश का जनमानस मन से अटूट जुड़ाव रखता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मसात कर लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय के जरिए जन-जन का कल्याण और उत्थान कर रही है। किसानों के हित में योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश के किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड योजना वरदान साबित हो रही है तो वहीं किसानों को मासिक पेंशन देने की व्यवस्था भी श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, इस योजना से देश के लगभग 20 लाख किसान साथ जुड़ चुके हैं, राजस्थान में 38 हजार से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं।

देश को एक परिवार मानकर धरातल पर कार्य रही भाजपा एक दल ही नहीं, एक विचार है, जिसका ध्येय राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण है और यह साबित हो रहा है श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के मजबूते इरादों और जनकल्याणकारी योजनाओं से, जिसकी पहुंच अंतिम पंक्ति के घर तक उसके उत्थान के रूप में हो रही है।

भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 44 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूर्ण कर चुकी भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए, जो देश के प्रधानमंत्री पद पर भी आसीन हुए, जिन्होंने किसानों और बुनियादी विकास के लिये ऐतिहासिक कार्य किये, जिन्हें नये विजन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं।

कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक-दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भाजपा ने दो ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन-युग के सूत्रपात में अठाणी भूमिका निभाई है और देश को परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकालकर हर वर्ग की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की। तीन दशक बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत दिया है तथा भारी बहुमत से भाजपा नीत एनडीए सरकार केन्द्र में विद्यमान है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को हुआ, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की नेहरू सरकार के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात् कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस 'नेहरूवाद' की चपेट में आ गई तथा कांग्रेस सरकार की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर इत्यादि पर घुटनाटेक नीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे।

'नेहरूवाद' तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर महान राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरु मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य अंत्योदय के प्रणेता पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। भारत-चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लम्बे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई। जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमनचक्र से कुचलने का प्रयास किया। परिणामत: 25 जून, 1975 को देश पर दूसरी बार आपातकाल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत 'आंतरिक आपातकाल' के रूप में थोप दिया गया। जयप्रकाश नारायण के आव्हान पर एक नये राष्ट्रीय दल 'जनता पार्टी' का गठन किया गया। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई, 1977 को भारतीय जनसंघ ने एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया।

4 अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल, 1980 को एक नये संगठन 'भारतीय जनता पार्टी' की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जो आज 18 करोड़ से अधिक सदस्य संख्या के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।

भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85, 1991 में 120 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त कीं। भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार ने 1996 में शपथ ली, परन्तु पर्याप्त समर्थन के अभाव में यह सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद 1998 के आम चुनावों में भाजपा ने 182 सीटों पर जीत दर्ज की और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। परन्तु सरकार लोकसभा में विश्वासमत के दौरान एक वोट से गिर गई। 1999 में भाजपा 182 सीटों पर पुन: विजय मिली तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुईं। एक बार पुन: अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा-नीत राजग की सरकार बनी। भाजपा-नीत राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी के नेतृत्व में विकास के अनेक नये प्रतिमान स्थापित किये। पोखरण परमाणु विस्फोट, अग्नि मिसाइल का सफ़ल प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊंचा हुआ।

गृहमंत्री अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्षीय कार्यकाल में भाजपा ने लोकसभा चुनावों से लेकर विभिन्न राज्यों में जो विजय यात्रा का शंखनाद किया, वह वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नडडा के नेतृत्व में निरंतर जारी है। भाजपा का संगठन पांच क से चलता है, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कोष और कार्यालय, यह सभी चीजें भाजपा के पास हैं, यह पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से संभव हो रहा है। वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो आज 'सबका साथ, सबका विकास' की उद्घोषणा के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रही है। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगभग 11 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बनी और आज श्री नडडा के नेतृत्व में सदस्य संख्या बढ़कर 18 करोड़ से अधिक पहुंच गयी है।

26 मई, 2014 यह भारत की राजनीति के नये युग की शुरुआत थी, इस ऐतिहासक दिन के अवसर पर श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ठाहण की।

मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुन:स्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया। मोदी सरकार ने अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं से नए युग की शुरुआत की। अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश उन्नित की तरफ बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय अखण्डता, कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय, कबाइली वेश में पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिकार, परमिट व्यवस्था एवं धारा 370 का निस्तारण व पृथकतावाद से निरन्तर संघर्ष करने वाली एकमात्र पार्टी भाजपा है, जिसने अपने एजेंडे में शामिल एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान लागू कर दिखाया। अटल बिहारी वाजपेयी एवं नरेन्द्र मोदी भारतीय लोकतंत्र में विकल्प के नियामक हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए अपेक्षित अखिल भारतीय संगठन एवं नेतृत्व आज केवल भाजपा के पास है, जो देश के सभी वर्गों के सपनों को समानता के साथ पूरा कर रही है। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है। समाज को अपेक्षित दिशा में प्रगति पथ पर ले जाना भी उसका कार्य है और यह कार्य भाजपा और मोदी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं। आज भाजपा विकास और विश्वास का पर्याय बन चुकी है, नए विचार का पर्याय बनकर देश की विकास और विजय यात्रा में अपनी भूमिका निभा रही है। भाजपा के लिये सदैव राष्ट्र सर्वोपरि है, एक भारत-श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूलमंत्र रहा है। भाजपा के मोदी युग में भारत के नये युग की शुरुआत हो चुकी है, जो पूरी दुनिया का सिरमौर बनने को अग्रसर है।

**डॉ. सतीश पूनियां**
**( भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष, राजस्थान )**

## राशिफल शुक्रवार 7 अप्रैल, 2023



**पंडित अनिल शर्मा**

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, चित्रा नक्षत्र दिन 1:32 तक, हर्षण योग रात्रि 1:24 तक, कौलव करण दिन 10:31 तक, चन्द्रमा तुला राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-मीन, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मिथुन, बुध-मेष, गुरू-मीन, शुक्र-वृष, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज श्री एकलिंग जी का पाटोत्सव है और गुड फ्राइडे है और राजयोग दिन 10:21 से दिन 1:32 तक है।

**सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया:** सूर्योदय से 7:50 तक, लाभ-अमृत 7:50 से 10:57 तक, शुभ 12:21 से 2:04 तक, चर 5:08 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:15, सूर्यास्त 6:43

**मेष**
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

**वृष**
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

**मिथुन**
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से व्यावसायिक संबंध बनेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कर्क**
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

**सिंह**
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी।

**कन्या**
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बढ़ेगा। घर-परिवार में शुभ-धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

**तुला**
मानसिक तनाव दूर होगा। मन: स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

**वृश्चिक**
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

**धनु**
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित योजना बनेगी। घर-परिवार में शुभ-धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

**मकर**
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। विवादित मामलों से राहत मिलेगी।

**कुंभ**
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार होगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

**मीन**
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। घर-परिवार में वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।